

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 37/सिरोही/2001-2002

वह प्रमाणित किया जाता है कि बी०८८० मेमोरियल स्कूल,

आबूरोड़..... जिलासिरोही का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

वह प्रमाण-पत्र में छताखरों और कार्यालय की तील से आज
दो हजार एक
दिनांक बारह माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ साँ को
सिरोही के दिन दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ सिरोही



राज्यसभा - सरकार

कार्यालय | रजिस्ट्रार | संसदार्थी | तिरोही

प्रमांड : का. अमिति/संसदा पांजि/सरकार/
वी अध्यक्ष,

बो० एस० मेमोरियल ट्यूल, जाह्वरेहु - जिला - सिरोहो।

टिमॉन : 12/10/2000

प्रिय ब्री.

2000-02 आपकी 2-अंडा-260 पा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रमांड 37/तिरोही/
टिमॉन संसद है, जिसकी प्राप्ति तृच्छा भिन्नताने का
कष्ट करे।

यहाँ आपका ध्यान उपत अधिकारिया की द्वारा - 4म 41का भी
ओर भी आकर्तिका किया जाता है जिसके प्राप्त नामों के अलावा आपको प्रति
का आमलारा के 14 टिक्स में भिन्नतिकात दृष्टियाँ भेजना चाही हैं -

11। संसदा के मामलों का प्रबन्धना जिसको तौपा गया है, उस वरिष्ठाद्वारा
शाखा निकाय के द्वारा लो, संचालको, न्यातीयों व सदस्यों का नाम,
और पेशाँ की तृच्छा में घट है।

12। एक पिवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस का जित की
की तृच्छी है, के टौरान इसेसमत एरियर्सों को दिलाया गया है।

13। संसदा के नियमों और विनियमों की एक तातारीडा सही प्रतिमिति जो
शाखा निकाय के मामलों, संचालको, न्यातीयों व सदस्य में से कम से कम
तीनों द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

14। इसके आधा संसदा के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक वरिष्ठीय
की प्रतिमिति जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित हो दो, ऐसा परिवर्तन
करने को तारीडा ते 15 दिन अन्दर इस कार्यालय को प्रहृष्ट व प्रत्येक वामा
बाहिये।

आपका ध्यान इस प्रतिमिति की द्वारा-41का। की ओर आफिंग
किया जाता है, जिसके सुधार उपरोक्त प्राप्तानों का दावन करने में विषय
रहने वाला अमरादा तिल्ह होने पर, ऐसे अटिंड के दण्डनीय होगा, जो 500/-
ल्पये तक हो सकता है ताका अमरादा भांग होने की द्वारा में और ऐसे अटिंड
ते छंनीय होगा जो प्रत्येक टिक्स के लिये जिसमें कि ऐसे अमरादा के लिये प्रधान
अमरादा तिल्ह के प्रधान प्रकार जारी रहती है। 50/- ल्पये अधिक नहीं होता।
बटि कोई व्यक्ति द्वारा - 4 के अंतीम इस्तूत की गई तृच्छी में या द्वारा-41का
के अंतीम रजिस्ट्रार को भेजे यो विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की
प्रविष्टि या कोठा भरता या छरता है तो वह अमरादा तिल्ह होने पर ऐसे
अटिंड से दण्डनीय होता, जो 2000/- ल्पये तक का हो सकता है।

नोट : इस कार्यालय से भागियों में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार भरते तथा
संसदा का वंचियन उप्रांग एवं कांग्रेस अंगठा करे।

संसद : प्रमाण पत्र

विधानसंघ विधान-पत्र



रजिस्ट्रार संसदार्थी तिरोही
तिरोही